न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

नजरसानी प्रा0पत्र संख्याः—55/2019 (2019/00055)

1. राजेन्द्र कटारिया पुत्र बालूराम कटारिया, जाति बलाई, निवासी कृष्णापुरी उंटड़ा रोड़, मदनगंज—किशनगढ़, जिला अजमेर ।

प्रार्थी/नजरसानीकर्ता

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र रोडू, जाति रेगर, नि0 आजाद नगर, देवडूंगरी, मदनगंज—जिला अजमेर जरिये मुख्त्यारआम बगदाराम पुत्र बोफाराम, जाति मेघवाल, निवासी मेघवालों का वास, ग्राम सूर्यावास, तह0 रियांबड़ी, जिला नागौर।
2. भागचंद पुत्र रोडू, जाति रेगर, नि0 नया शहर किशनगढ़, हाल निवासी 127, जटिया कॉलोनी, वार्ड नं0 39, ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. गलकूदेवी पुत्री रोडू पुत्री स्व0 शंकरलाल, जाति रेगर, निवासी नया शहर, किशनगढ़, हाल निवासी 363, औद्योगिक नगर मु0पो0 बबाईचा, तहसील व जिला अजमेर ।
4. गणपत पुत्र भोगामराम,
5. गुलाबचंद पुत्र भोमराम,
   दोनो जाति रेगर, नि0 बड़ा पीर रोड़, डिग्गी बाजार, अजमेर ।
   अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 जरिये मुख्त्यारआम दिलीप कुमार पुत्र जगदीश जाति ढोली, निवासी ग्राम सराणा, तह0 व जिला अजमेर ।
6. मैनादेवी पत्नि जगदीश प्रसाद जाति रेगर, नि0 बडा पीर रोड़, डिग्गी बाजार, अजमेर जरिये मुख्त्यारआम गिरीराज मौर्य पुत्र खींवाराम, जाति रेगर, नि0 वार्ड नं0 34, अम्बेडकर स्कूल रोड़,, रेगर मौहल्ला, नया शहर, किशनगढ़ जिला अजमेर ।

अपीलांट/गैर नजरसानीकर्ता

7. खिया पुत्र घीसा (मृतक) जरिये वारिसानः—
   7/1— मदनलाल पुत्र खिया (मृतक) जरिये वारिसानः—
   7/1/1— किरण मौर्य पुत्र मदनलाल,
   7/1/2— पुष्पादेवी पुत्री मदनलाल,
   दोनों जाति रेगर, नि0 नया शहर रेगर मौहल्ला, कॉलियों की मीरी के पास, किशनगढ, जिला अजमेर ।
   7/2— चौथमल पुत्र खियां,
   7/3— नेमीचंद पुत्र खियां,
   7/4— गिर्राज पुत्र खियां,
   7/5— भंवरलाल पुत्र खियां,
   समस्त जाति रेगर, नि0 पुराना शहर, किशनगढ़, जिला अजमेर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।
9. राजस्थान आवासन मण्डल, किशनगढ, जरिये प्रबंधक ।

प्रत्यर्थीगण/गेर नजरसानीकर्ता

नजरसानी अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 47 नियम 1 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

उपस्थितः—

1. श्री प्रेम प्रकाश, वकील प्रार्थी।
2. श्री प्रदीप विश्नोई, वकील अप्रार्थी संख्या 1.
3. श्री महेन्द्र चौधरी, वकील अप्रार्थी संख्या 2 से 6.
4. 7/1 से 7/5 अनुपस्थित ।
5. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 8 व 9.

निर्णय

दिनांकः— 18.12.2019

1. प्रार्थी/नजरसानीकर्ता ने यह नजरसानी प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय द्वारा अपील संख्या 34/2018 सोहनलाल बनाम खियां में पारित निर्णय दिनांक 11.1.2019 के विरूद्ध पेश किया है ।
2. संक्षेप में नजरसानी प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय में एक अपील अंतर्गत धारा 223 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/1993 उनवानी खियां बनाम सरकार में दिनांक 26.9.1995 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट सोहनलाल द्वारा इस आशय की संस्थित की थी कि—मदनगंज के खसरा संख्या 405 कुल रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा में से 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थी के पिता रोडू को मिसल संख्या 240/1976 में नियमन की सिफारिश के आधार पर दिनांक 6.12. 1978 को आवंटन की गई थी तथा प्रार्थी के पिता उपरोक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है । दिनांक 27.7.2017 को मान0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा नियमन के आदेश की पालना में तहसीलदार, किशनगढ़ को निर्देश प्रदान किये थे कि '' दिनांक 6.12.1978 की पालना में नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में नियमन आदेश की पालना करते हुए गैर खातेदारी/खातेदारी का अंकन विधिक रूप से दो माह की अवधि में करे।'' एवं उपरोक्त अपील में गैर निगरानीदार संख्या 1 द्वारा यह भी अभिवचन किया गया था कि उक्त आदेश के पश्चात् प्रार्थी द्वारा तहसीलदार, किशनगढ़ के समक्ष पालना हेतु चाराजोही की तब प्रार्थी/अपीलांट को पता चला कि खसरा संख्या 405 की भूमि खिया पुत्र घीसा ने अपने पक्ष में अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ से दिनांक 26.9.1995 को डिक्री करवा ली है तथा प्रार्थी/अपीलांट नियमनशुदा भूमि अपने नाम करवा ली है जबकि खसरा संख्या 405 की 18 बीघा 13 बिस्वा भूमि जिसके नये खसरा नंबर 662, रकबा 8 बीघा, खसरा नंबर 663 रकबा 8 बीघा, खसरा नंबर 664 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 665 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 674 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 675 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 676 रकबा 1 बिस्वा बने एवं खसरा नंबर 662 में से 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 664, 665, 674, 675, 676 की भूमि राजस्थान आवासन मण्डल किशनगढ़ के नाम आवंटित होकर उनके खाते में दर्ज कर दी गई और शेष खसरा संख्या 662 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 663 रकबा 8 बीघा कुल 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि शेष बची जो अपीलांट के पिता को नियमनशुदा थी और जिस पर अपीलांट व उसका परिवार काबिज काश्त चला आ रहा है। यह भूमि एकतरफा में रेस्पो0 द्वारा तथ्य छिपाकर डिक्री के जरिये अपने नाम दर्ज करवा ली है । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 296.9.1995 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील हाजा न्यायालय के समक्ष पेश की जिसे हाजा न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 11.1.2019 द्वारा

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया है । हाजा न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने यह नजरसानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालीय में पेश किया है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 से 6 उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपील संख्या 34/2018 में अपीलांट संख्या 6 मैनादेवी का मुख्त्यारआम श्री गिर्राज मौर्य पुत्र खिंयाराम, जाति रेगर अंकित कर रखा है जबकि गिर्राज पुत्र खिंयाराम प्रत्यर्थी संख्या 1/4 के रूप में संयोजित है । इसी प्रकार अपीलांट संख्या 2 लगायत 5 भागचंद, गलकूदेवी, गणपत व गुलाबचंद का मुख्त्यारआम दिलीप कुमार पुत्र जगदीश चंद्र अंकित है एवं रेस्पो0 संख्या भंरलाल, चौथमल, नेमीचंद, गिर्राज एवं किरण का भी मुख्त्यारआम अपील पत्रावली पर उपलब्ध मुख्त्यारनामा दिलीप पुत्र जगदीश चंद्र ही है । इस संबंध में अपील पत्रावली पर उपलब्ध नोटेरी पब्लिक से सत्यापित मुख्त्यारनामा दिनांक 7.12.2016 जिसमें नेमीचंद व गिर्राज प्रत्यर्थी संख्या 1/3 व 1/4 एवं श्रीमती किरण प्रत्यर्थी संख्या 1/1/1 का मुख्तयार आम दिलीप पुत्र जगदीश चंद्र के पक्ष में निष्पादित होना प्रकट किया गया । इसी प्रकार चौथमल का मुख्त्यारआम दिनांक 2.12.2016 जो नोटेरी पब्लिक से सत्यापित है दिलीप पुत्र जगदीश के पक्ष में निष्पादित किया गया है। इस प्रकार अपीलांटस संख्या 2 से 5 का मुख्त्यारआम दिलीपकुमार ही है एवं रेस्पो0 संख्या 1/1/1 एवं 1/2, 1/5 का मुख्त्यारआम भी दिलीप कुमार ही है जो प्रथमदृष्टया पक्षकारान के मध्य कोल्यूजन एवं न्यायालय के प्रति धोखा है एवं मान0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.1.2019 कोल्यूजन व धोखे से प्राप्त किया गया है । विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी छिपाया है कि पूर्व में रेफरेंस टी0ए058/2001 सरकार बनाम मदनलाल वगैरह आदेश दिनांक 20.4.2002 जो कि उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.9.1995 वाद संख्या 42/1993 के विरूद्ध मान0 मण्डल में रेफरेंस पेश किया गया था जिसमें मान0 मण्डल द्वारा खसरा नंबर 405 के संबंध में यह निर्णय दिनांक 20.4.2002 को पारित किया कि '' इसके अनुसार जब विपक्षीगण के पिता खियां रेगर करीब 35 वर्ष से अधिक से आराजी पर काबिज चले आ रहे है उन्हें खातेदार घोषित किया गया है जो तथ्य समस्त राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित था तो उपखण्ड अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है । मैं जिलाधीश, अजमेर के मत से सहमत नहीं हूं अतः रेफरेंस सारहीन होने से खारिज किया जाता है । '' मान0मण्डल के इस निर्णय से उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.9.1995 की पुष्टि उपरांत निर्णय व डिक्री अंतिम था । मान0 राजस्व मण्डल द्वारा अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में दिये गये इस महत्वपूर्ण आदेश को छिपाकर मान0 न्यायालय से निर्णय प्राप्त किया गया है जो स्पष्टतया तथ्यों को छिपाकर एवं धोखे से प्राप्त किया गया निर्णय होकर एरर अपेरेंट ऑफ दॉ फेस ऑफ रिकार्ड होने से मान0 न्यायालय द्वारा अपील संख्या 34/2018 में पारित निर्णय दिनांक 11.1.2019 निरस्त किये जाने योग्य है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। इस संबंध में नजरसानीकर्ता द्वारा ए0आई0आर0 1963 सुप्रीमकोर्ट पेज 1909, 2017 आर0बी0जे0 पेज 728, 2018 डी0सी0आर0 पेज 209, 1997

(6) एस0सी0सी0 450, 2004 एस0ए0आर0 पेज 1, 1996 (5) एस0सी0सी0 पेज 550, के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि मान0न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटि नहीं है । नजरसानी में उठाये गये तथ्य गलत व सारहीन है । नजरसानी का स्कोप बहुत ही सीमित है। नजरसानी मियाद बाहर पेश की गई है । इस संबंध में आर0बी0जे0 2017 पेज 536, 2016 आर0बी0जे0 पेज 226, 572, आर0बी0जे0 2012 पेज 301, आर0बी0जे0 2011 पेज 352, आर0बी0जे0 2005 पेज 132, डी0एन0जे0 2000 पेज 235 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये । अंत में नजरसानी प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अप्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा अपील संख्या 34/2018 सोहनलाल बनाम खियां उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.9.1995 के वाद संख्या 42/1993 के विरूद्ध इस आशय से पेश की कि पुराना खसरा नंबर 405 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा भूमि के नये खसरा नंबर 662 रकबा 8 बीघा, 663 रकबा 8 बीघा, 664 रकबा 10 बिस्वा, 665 रकबा 16 बिस्वा, 674 रकबा 11 बिस्वा, 675 रकबा 15 बिस्वा, 676 रकबा 1 बिस्वा बने है । इसमें से खसरा नंबर 662 में से 4 बीघा 9 बिस्वा एवं खसरा नंबर 664, 665, 674, 675, 676 में राजस्थान आवासन मण्डल के नाम आवंटित होकर खाते में दर्ज हो गयी है । शेष खसरा नंबर 662 रबा 1—15—00 एवं खसरा नंबर 663 रकबा 8 बीघा कुल 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि अपीलांटस के पिता रोडू जाति रेगर की नियमनशुदा भूमि थी जिस पर काबिज काश्त चला आ रहा है । अधी0न्याया0 द्वारा गलत निर्णय व डिक्री पारित की है । अपीलांटस के उपरोक्त कथनों पर विश्वास कर हाजा न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.9.1995 को निरस्त किया एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को सुनवाई व साक्ष्य हेतु प्रतिप्रेषित किया गया ।

7. नजरसानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं बहस में किये गये कथनों के अनुसार मान0 मण्डल द्वारा रेफरेंस टी0ए0/58/2001 में पारित निर्णय दिनांक 20.4.2002 में ग्राम मदनगंज—किशनगढ़ स्थित खसरा नंबर 405 के संबंध में निम्न निर्णय पारित किया है किः— '' इसके अनुसार जब विपक्षीगण के पिता खियां रेगर करीब 35 वर्ष से अधिक से आराजी पर काबिज चले आ रहे है उन्हें खातेदार घोषित किया गया है जो तथ्य समस्त राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित था तो उपखण्ड अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है । मैं जिलाधीश, अजमेर के मत से सहमत नहीं हूं अतः रेफरेंस सारहीन होने से खारिज किया जाता है । '' अपीलांटस द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के रेफरेंस में पारित महत्वपूर्ण निर्णय को छिपाकर एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर हाजा न्यायालय से निर्णय दिनांक 11.1.2019 प्राप्त किया गया है । यदि मान0 राजस्व मण्डल का उक्त निर्णय दिनांक 20.4.2002 हाजा न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध होता तो हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 11.1.2019 को पारित निर्णय में अनुतोष भिन्न होता । स्पष्टतया हाजा न्यायालय का निर्णय माननीय मण्डल के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में एरर अपेरेंट ऑन दॉ फेस ऑफ रिकार्ड होने के कारण हाजा न्यायालय के द्वारा अपील संख्या 34/2018 में पारित निर्णय दिनांक 11.1.2019 निरस्त किये जाने योग्य होकर अपील पुनः सुनवाई किये जाने योग्य है । हाजा न्यायालय नजरसानीकर्ता/प्रार्थी के इस तर्क से भी सहमत है कि अपील संख्या 34/2018 में अपीलांट संख्या 6 मैनादेवी का मुख्त्यारआम श्री गिर्राज मौर्य पुत्र खिंयाराम, जाति रेगर अंकित कर रखा है जबकि गिर्राज पुत्र खिंयाराम प्रत्यर्थी संख्या

1/4 के रूप में संयोजित है । इसी प्रकार अपीलांट संख्या 2 लगायत 5 भागचंद, गलकूदेवी, गणपत व गुलाबचंद का मुख्त्यारआम दिलीप कुमार पुत्र जगदीश चंद्र अंकित है एवं रेस्पो0 संख्या भंवरलाल, चौथमल, नेमीचंद, गिर्राज एवं किरण का भी मुख्त्यारआम अपील पत्रावली पर उपलब्ध मुख्त्यारनामा दिलीप पुत्र जगदीश चंद्र का ही है । इस संबंध में अपील पत्रावली पर उपलब्ध नोटेरी पब्लिक से सत्यापित मुख्त्यारनामा दिनांक 7.12.2016 जिसमें नेमीचंद व गिर्राज प्रत्यर्थी संख्या 1/3 व 1/4 एवं श्रीमती किरण प्रत्यर्थी संख्या 1/1/1 का मुख्तयार आम दिलीप पुत्र जगदीश चंद्र के पक्ष में निष्पादित होना प्रकट किया गया । इसी प्रकार चौथमल का मुख्त्यारआम दिनांक 2.12.2016 जो नोटेरी पब्लिक से सत्यापित है दिलीप पुत्र जगदीश के पक्ष में निष्पादित किया गया है। इस प्रकार अपीलांटस संख्या 2 से 5 का मुख्त्यारआम दिलीपकुमार ही है एवं रेस्पो0 संख्या 1/1/1 एवं 1/2, 1/5 का मुख्त्यारआम भी दिलीप कुमार ही है जो दुरभिसंधि (Collusion) को प्रकट करता है । इस प्रकार के आचरण के आधार पर हाजा न्यायालय द्वारा प्राप्त किया गया निर्णय दिनांक 11.1.2019 भी दुरभिसंधि के आधार पर भी निरस्त किये जाने योग्य है । इस कारण गैर नजरसानीकर्ता द्वारा मियाद के बिन्दू पर एवं पीड़ित पक्षकार नहीं होने के संदर्भ में लिये गये ऐतराज स्वीकार किये जाने योग्य नही है क्योंकि दुरभिसंधि (Collusion) से प्राप्त निर्णय को कभी भी चुनौती दी जा सकती है जिसमें मियाद अवधि बाधित नहीं है एवं कोई भी पीड़ित पक्षकार नजरसानी के माध्यम से न्यायालय के समक्ष संपूर्ण सही तथ्य प्रकाश में ला सकता है । इस संबंध में विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे0 2017 पेज 728 लार्जर बैंच का निर्णय हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार नजरसानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राज0काश्त0अधि0 सपठित आदेश 47 नियम 1 एवं धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है तथा हाजा न्यायालय द्वारा अपील संख्या 34/2018 उनवान सोहनलाल बनाम खिंया वगैरह मे पारित आदेश दिनांक 11.1.2019 निरस्त किया जाता है तथा अपील संख्या 34/2018 उनवान सोहनलाल बनाम खिंया पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है । नजरसानी प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल अपील पत्रावली के साथ संलग्न किया जावे ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर